

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:-33/2021 (14 सिक्वोरिटाइजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि./मु. प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केंद्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर।

---प्रार्थी

बनाम

1. लीलाधर पुत्र श्री काशी राम (प्रो. मैसर्स भेरू वेयरहाउस)
C/O प्लॉट नं. 12, महादेव एक्लेव, चक 12 MOD कैंचियाँ पदमपुर रोड़, हनुमानगढ़-335802।
2. भजनलाल पुत्र श्री हरूप राम निवासी गांव-50 एलएनपी, कैंचियाँ पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर।
3. खेत सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी नेतेवाला नजदीक इप्पको सोसाइटी, श्रीगंगानगर।

---ऋणी

---जमानतीगण



वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश

दिनांक:-11.11.2021

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि./मु. प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केंद्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर की ओर से श्री अमित कुमार वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 15.10.2019 को 1,40,00,000/- (अखरे एक करोड़ चालीस लाख रुपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा मय ब्याज के पुनर्भुगतान की सिक्वोरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति क्रमांक-1. व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित दुकान नं. 25 (भाग 7' गुणा 90') और दुकान नं. 26 (भाग 3' गुणा 90'), पत्थर नं. 40/248(61), किला नं. 11, चक 7 BLW, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 10' गुणा 90' = 900 वर्गफुट, जो कि श्री लीलाधर पुत्र श्री काशीराम के नाम से है, क्रमांक-2. व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित दुकान नं. 26 (भाग 7' गुणा 90') और दुकान नं. 27 (भाग 10' गुणा 90'), दुकान नं. 28 (भाग 3' गुणा 90'), पत्थर नं. 40/248(61), किला नं. 11, चक 7 BLW, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 20' गुणा 90' = 1800 वर्गफुट, जो कि श्री लीलाधर-पुत्र श्री काशीराम के नाम से है, क्रमांक-3. व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित दुकान नं. 30 पत्थर नं. 40/248(61), किला नं. 11, खाता नं. 76/84, चक 7 BLW, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के

W

अनुसार क्षेत्रफल 10' गुणा 90' = 900 वर्गफुट, जो कि श्री भजन लाल पुत्र श्री हरूपराम के नाम से है तथा क्रमांक-4. आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 12, पत्थर नं. 42/254(25), किल्ला नं. 2, चक 36 MOD, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 30' गुणा 45' = 1350 वर्गफुट, जो कि श्री लीलाधर पुत्र श्री काशीराम के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में हित साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को नियमानुसार दिनांक 10.05.2021 को गैर-निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 20.05.2021 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 1,45,79,025.90/- (रूपये एक करोड़ पैंतालिस लाख उन्नासी हजार पच्चीस रूपये नब्बे पैसे मात्र) दिनांक 20.05.2021 तक का व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि./मु. प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केंद्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पत्ति क्रमांक-1. व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित दुकान नं. 25 (भाग 7' गुणा 90') और दुकान नं. 26 (भाग 3' गुणा 90'), पत्थर नं. 40/248(61), किला नं. 11, चक 7 BLW, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 10' गुणा 90' = 900 वर्गफुट, जो कि श्री लीलाधर पुत्र श्री काशीराम के नाम से है, क्रमांक-2. व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित दुकान नं. 26 (भाग 7' गुणा 90') और दुकान नं. 27 (भाग 10' गुणा 90'), दुकान नं. 28 (भाग 3' गुणा 90'), पत्थर नं. 40/248(61), किला नं. 11, चक 7 BLW, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 20' गुणा 90' = 1800 वर्गफुट, जो कि श्री लीलाधर पुत्र श्री काशीराम के नाम से है, क्रमांक-3. व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित दुकान नं. 30 पत्थर नं. 40/248(61), किला नं. 11,


W



खाता नं. 76/84, चक 7 BLW, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 10' गुणा 90' = 900 वर्गफुट, जो कि श्री भजन लाल पुत्र श्री हरूपराम के नाम से है तथा क्रमांक-4. आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 12, पत्थर नं. 42/254(25), किल्ला नं. 2, चक 36 MOD, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 30' गुणा 45' = 1350 वर्गफुट, जो कि श्री लीलाधर पुत्र श्री काशीराम के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 11.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़